न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–43/2019–20

प्रथम पक्षः–भीमसेन राणा, ग्राम–कटिया, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्षः–ईशहाक मियां, साकिन–कटिया, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा।

1	2	3

22/11/2023

आदेश

इस वाद की प्रक्रिया प्रथम पक्ष भीमसेन राणा पिता–बोधी राणा एवं अन्य तीन सदस्य, साकिन–कटिया, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा के अभ्यावेदन पर प्रारम्भ किया गया। यह अपील वाद अंचल अधिकारी, सिमरिया के न्यायालय से पारित विविध वाद संख्या–12/2013–14 के विरूद्ध लाया गया। इसमें विपक्षी ईशहाक मियां, पे0–सुजान मियां, जमाल मियां, पे0–स्व0 चटक मियां, रउफ मियां, पे0–स्व0 चुटन मियां, मकसुद मियां, पिता–स्व0 चरक मियां, इस्लाम मियां, पिता–स्व0 चरक मियां, अफदा खातुन, पुत्री स्व0 कारू मियां, सभी साकिन–कटिया, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा को बनाया गया। साथ हीं साथ अंचल अधिकारी, सिमरिया को भी पक्षकार बनाया गया। प्रक्रिया से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	कुल रकबा
एदला	116	2156	0.77 एकड़

अपीलार्थी के अभ्यावेदन की प्रविष्टी के बाद उभय पक्षों को इस न्यायालय से अपना–अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। साथ हीं साथ निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख भी प्राप्त किया गया। अपीलार्थी की ओर से बहस की प्रक्रिया में कई अवसर देने के बाद जब उपस्थित नहीं हुए तब एकपक्षीय बहस सूना गया और इस वाद को आदेशार्थ रखा गया।

प्रथम पक्ष अथवा अपीलार्थी की ओर से दाखिल किये गए लिखित कथन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की ओर से सर्व प्रथम प्रक्रियाधीन भूमि का वाद अंचल अधिकारी, सिमरिया के न्यायालय में लाया गया था, जिसका विविध वाद संख्या–12/2013–14 है। अपीलार्थी का कथन है कि प्रक्रियाधीन भूमि उनकी खतियानी भूमि है जो रैझा बरई पे0–धनु बरई के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है। जमींदारी उन्मूलन के बाद अंचल कार्यालय के पंजी–2 में इसका जमाबन्दी रैझा बरई के नाम से कायम था। रैझा बरई के तीन पुत्र हुए–जौफी राणा, बोधी राणा और नन्हु राणा। जौफी राणा नावल्द मर गये तथा उनके अन्य भाई बोधी राणा तथा नान्हु राणा के वैध उतराधिकारियों का इस भूमि पर दखल–कब्जा कायम हुआ। अपीलार्थी वैध उतराधिकारियों का ही वारिशान है। अपीलकर्त्ता ने

CC Issued
P. 09/2024

Scanned with OKEN Scanner

जब इस भूमि का लगान रसीद निर्गत करने हेतु अंचल अधिकारी को अभ्यावेदन दिया तो अंचल अधिकारी के द्वारा हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से भ्रामक प्रतिवेदन प्राप्त कर उनके अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया तथा विपक्षी के हक में अपना निर्णय दे दिया जो गलत है। खतियानी रैयत को अंचल अधिकारी ने बटाईदार की श्रेणी में मानकर उनके अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया, जो अंचल अधिकारी की गलत मंशा का परिचायक है। इन्होंने विविध वाद संख्या–12/2013–14 में अचंल अधिकारी, सिमरिया के स्तर से दिनांक–30.05.2014 को पारित किये गए आदेश को निरस्त करने हेतु आग्रह किया है तथा अपील को स्वीकृत करने हेतु इस न्यायालय से प्रार्थना किया है।

दूसरी ओर इस वाद की प्रक्रिया में द्वितीय पक्ष ने लिखित कथन सह प्रति उत्तर दाखिल कर इस न्यायालय को यह बताया है कि प्रक्रिया से संबंधित भूमि उनके पूर्वज सूजान मियां, पे0–कसमली मियां को भूतपूर्व जमींदार निजामूर रहमान, पिता–खुदाबक्स मियां से हुकुमनामा बन्दोबस्ती के माध्यम से मिला है। इनका कथन है कि मौजा–टूटीलावा के अन्तर्गत कई जमींदार थे तथा उन्हीं में से एक निजामूर रहमान थे, जिन्हें सन्–1930 ई0 में पार्टीशन सूट के माध्यम से एक अंश की जमींदारी हासिल हुआ था। भूतपूर्व जमींदार ने इसी हैसियत से प्रश्नगत भूमि खास दखल–कब्जा में पाकर सूजान मियां को बन्दोबस्त किया। इन्होंने यह भी कहा है कि खतियानी रैयत कई प्रकार की बीमारी से ग्रसित थे तथा उन्होंने प्रश्नगत भू–खण्ड को (Relinquish) कर दिया था।

द्वितीय पक्ष ने प्रतिउत्तर में इस वाद की प्रक्रिया में आगे यह उल्लेख किया है कि भूतपूर्व जमींदार ने अपने रिटर्न में इस भूमि का वर्णन किया है, जो सूजान मियां के पक्ष में हैं। जब जमींदारी का उन्मूलन हो गया तब सरकारी सिरिस्ते में इस भूमि का अंचल कार्यालय के पंजी–2 में रैयत के रूप में सूजान मियां, पिता–कसमली मियं के नाम से रैयती खाता कायम हुआ। यह कि सूजान मियां को तीन पुत्र हुए :– जालीम मियां, अलीम मियां तथा इसाक मियां। जब सूजान मियां की मृत्यु हो गई तब उनके वैध उतराधिकारी इस भूमि पर काबिज हुए तथा तब से लगातार इस भूमि पर काबिज रहें हैं। अपीलार्थी अथवा प्रथम पक्ष का प्रश्नगत भूमि पर दावा नहीं बनता है।

द्वितीय पक्ष ने इस वाद की प्रक्रिया में आगे अपने लिखित कथन अथवा प्रतिउतर में यह भी वर्णन किया है कि राजस्व कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक ने स्थानीय जांच के आधार पर अपना जांच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी को दिया है। राजस्व कर्मियों के द्वारा घर बैठे रिपोर्ट तैयार नहीं किया है। स्थलीय जांच के क्रम में द्वितीय पक्ष का हीं दखल–कब्जा पाया गया है। इस संदर्भ में ग्राम–एदला के हीं ग्रामीण प्रभात साव, भगवान प्रसाद साव, हेमराज साव, प्रदीप सिंह, विजय राम जैसे ग्रमीणों का उल्लेख किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

यह कि इन्हीं ग्रामीणों का उपस्थिति में जांच–पड़ताल किया गया तथा द्वितीय पक्ष का हीं प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा पाया गया। यह कि अपीलार्थी संख्या–4 नकुल राणा ने भी इनका दखल–कब्जा स्वीकार किया है। विपक्षी का कथन है कि उनके पूर्वज के नाम से पूर्व से जमाबन्दी चल रही है तथा उनका दखल–कब्जा पूर्व से चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के दावे का खारिज करते हुए इस वाद की प्रक्रिया को समाप्त किया जाय। अपने दावे के समर्थन में द्वितीय पक्ष ने लगान रसीद तथा सादा हुकुमनामा दाखिल किया है। रिटर्न की प्रति दाखिल नहीं किया गया है तथ पंजी–2 की प्रति भी दाखिल नहीं है, खतियान भी संलग्न नहीं किया गया है।

इस प्रकार इस वाद की प्रक्रिया में उभय पक्षों के द्वारा दाखिल किये गए लिखित कथन तथा द्वितीय पक्ष की एकपक्षीय बहस सूनने के उपरान्त एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मौजा–एदला, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा के अन्तर्गत खाता नं0–116, प्लॉट नं0–2156, रकबा–0.77 एकड़ भूमि का मामला रैयती खाते की भूमि से संबंधित है। यह भूमि विगत सर्वे खतियान में रैझा बरई, पे0–धनु बरई के नाम से दर्ज रहा है, परन्तु द्वितीय पक्ष की दावेदारी इस भूमि पर इस बात को लेकर है कि खतियानी रैयत कई बीमारी से ग्रसित थे तथा उन्होंने भूतपूर्व जमींदार को यह भूमि (Relinquish) कर दिया। यह बात यक्तिसंगत प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि द्वितीय पक्ष ने जो सादा हुकुमनामा इस न्यायालय में दाखिल किया है, वह संदिग्ध की श्रेणी में है। अंचल अधिकारी को भी राजस्व कर्मचारी ने यह प्रतिवेदन दिया था कि पंजी–2 में यह भूमि सूजान मियां के नाम से कैसे आया, यह वर्णन नहीं है। इससे यह प्रतीत होता है कि सादा हुकुमनामा बाद में सही तथ्यों को छुपाने के लिए तैयार किया गया, क्योंकि रिटर्न भी द्वितीय पक्ष ने दाखिल नहीं किया है, जिससे यह माना जा सके कि सादा हुकुमनामा भूतपूर्व जमींदार के स्तर से हीं तैयार किया गया। अंचल अधिकारी ने अपने आदेश में खतियानी रैयत को बटाईदार Treat कर दिया है, जबकि यह भी तथ्य से परे है। स्वयं विपक्षी भी लिखित कथन में यह स्वीकारते हैं कि रैझा बरई हीं प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत थे।

अतः निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत रैझा बरई हीं थे, परन्तु द्वितीय पक्ष ने पंजी–2 में इस भूमि का जमाबन्दी कायम करा लिया और यह जमाबन्दी वगैर किसी ठोस कागजातों के आधार पर कायम हुआ, जिसके कारण अंचल कार्यालय के पंजी–2 में यह वर्णन नहीं किया गया कि खतियानी भूमि के अंतरण का आधार क्या है ? अंचल अधिकाारी ने निश्चित तौर पर इस वाद में एक गलत आदेश पारित किया है तथा खतियानी रैयत के वारिशान को बटाईदार बताकर उनके अभ्यावेदन को निरस्त कर दिया है जो मानवीय दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः विविध वाद संख्या–12/2013–14 के अन्तर्गत दिनांक–30.05.2014 को अंचल अधिकारी, सिमरिया के पारित आदेश को नियमविरूद्ध मानकर इसे निरस्त किया जाता है। अपील आवेदन स्वीकृत। विपक्षी यदि चाहें तो पारित आदेश के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय में भी जाने हेतु स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

a Issued
P-09/2024.

Digitally signed by SUNNY RAJ
Date: 2024.07.16 13:15:32 +05:30
Location: 192.168.209.12

Scanned with OKEN Scanner